संख्या-256/2020/525/22-2-2020-17(22)/2001

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 जुलाई, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भगीरथ सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह, निवासी जनपद-बांदा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-20-05-2020 दिनांक 15-06-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भगीरथ सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह, पचकौरी, थाना-पैलानी, जनपद-बांदा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद के पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 15.04.1981 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 05 लोगों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-194/1982 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर के आदेश दिनांक 28.11.1997 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.12.1998 द्वारा आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2004 द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 16.02.2020 तक 25 वर्ष 08 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 32 वर्ष 11 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या-159/2017 भगीरथ सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी भगीरथ सिंह (बन्दी संख्या-7122/02) पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह, निवासी जनपद-बांदा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-256/2020/525(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in